न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/140

मूर्ति मंदिर महादेव जी महाराज जर्ये पुजारी बालमुकुन्द गौतम वल्द स्व0 पण्डित जगन्नाथ शर्मा जाति ब्राह्म्ण निवासी ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

——अपीलान्ट

बनाम

राकेश योगी वल्द श्यामलाल योगी निवासी ग्राम डींगसी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :—1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 27.02.2026

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 08/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 46, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी में मन्दिर मूर्ति महादेव जी महाराज का गत कई वर्षों से स्थित है तथा वादी के नाम से खसरा नं. 310 की रकबा 0.21 हैक्टयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नं. 311 की रकबा 0.93 हैक्टयर किस्म चाही तृतीय कुल ग्राम डींगसी के माल में खसरा नं. 307 की रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म चाह, खसरा नं. 308 की किता 4 कुल रकबा 3.28 हैक्टयर आराजियात स्थित है। वादी महादेव जी की सेवा पूजा प्रार्थी वादी पुजारी अपने पूर्वजों के समय से करते आ रहे है वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा जारी पासबुक के माफी महादेव की महाराज जर्ये पुजारी पण्डित जगन्नाथ आत्मज श्री भैरूलाल जी ब्राह्मण निवासी सुकेत के नाम से अवधि बन्दोबस्त 2031 से 2034 की जारी की हुई हैं वादी पुजारी के पिता स्व. जगन्नाथ जी शर्मा का देहान्त वर्ष 1997 में हो चुका है और वादी पुजारी अपने पिता की मृत्यु के बाद से निरन्तर उक्त महादेव जी वादी की

सेवा पूजा विधि विधान से नियमित रूप से करता आ रहा है तथा उक्त मूर्ति की आराजीयात को बहैसियत पुजारी प्रतिवर्ष मुनाफा काश्त कर काश्त करवाता आ रहा है और उक्त आय से मन्दिर की व्यवस्था रख–रखाव तथा सेवा पूजा भोग, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि की व्यवस्था नियमित रूप से करता आ रहा है। वादी पुजारी द्वारा गत कुछ वर्षों जिन–जिन व्यक्तियों को उक्त आराजीयात मुनाफा काश्त पर दी उनमें कृषि वर्ष 1998–1999 के लिए श्री किशनलाल आ० रामचन्द्र जाति माली निवासी सुकेत को काश्त पर दी गयी जिसकी लिखा–पढ़ी दिनांक 15.06.1998 को 5/– रूपये के स्टाम्प पर करवायी गयी। इसके बाद 1999–2000 के लिए श्री जगदीश आ० देवलाल बैरवा निवासी डींगसी को एक वर्ष के लिए काश्त पर दी। जिसकी लिखापढी दिनांक 12.05.1999 को 5/–रूपये के स्टाम्प पर करवायी गयी उक्त व्यक्ति को ही उक्त आराजीयात निरन्तर अप्रेल 2002 तक मुनाफा काश्त पर दी जाती रही। इसके बाद वर्ष 2002–2003 के लिये श्री छोटूलाल आत्मज श्री उदालाल गुर्जर निवासी सुकेत को एक वर्ष के लिए गुनाफा काश्त पर दी। जिसकी लिखापढ़ी 5 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 18.04.2000 को करायी गयी। संवत् 2062 से 2063 के लिये श्री गोपाललाल आ० भवाना जाति मेघवाल निवासी डीगसी को मुनाफा काश्त पर दी गयी जिसकी लिखापढी दिनांक 08.05.2003 को 20/–रूपये के स्टाम्प पर की गयी। इसी प्रकार 2009–10 के लिए मुनाफा काश्त पर श्री छीतरलाल आ० प्रताप नाथ जाति योगी मूल निवासी रागनीखेड़ा तहसील खानपुर तत्कालीन निवासी डींगसी को काश्त पर दी गयी। इसके बाद वर्ष 2010–11 के लिये प्रतिवादी को एक वर्ष कें लिए उक्त आराजीयात काश्त पर दी गयी। जिसकी मुनाफा राशि 40,000/– रूपये तय हुई जिसमें से प्रतिवादी ने 20000/– रूपये मुनाफा राशि का भुगतान वादी पुजारी को दिनाक 18.04.2010 को किया और इसी आशय की लिखापढ़ी 10/–रूपये के एडेसिव स्टाम्प पर दिनांक 18.04.2010 को की गयी। प्रतिवादी को ही आगामी वर्ष 2012–13 को लिये भी उक्त आराजीयात 45000/–रूपये में मुनाफा काश्त पर दी गयी किन्तु उक्त राशि का कोई भाग प्रतिवादी द्वारा वादी पुजारी को भुगतान नहीं किया गया। कृषि वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर वादी पुजारी ने प्रतिवादी से मुनाफा राशि की मांग की तो प्रतिवादी झूठे आश्वासन देकर समय गुजरता रहा और मुनाफा राशि का भुगतान नहीं किया। (समस्त मुनाफा काश्त की लिखावट के दस्तावेज की प्रतियां पत्रावली में साथ में संलग्न है।) वर्ष 2013–14 पूरा समाप्त होने के बाद भी प्रतिवादी ने वादी पुजारी को जब मुनाफा राशि का भुगतान नहीं किया तो वादी पुजारी ने प्रतिवादी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट साहब रामगंजमण्डी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट साहब द्वारा प्रकरण की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु थानाधिकारी जी सुकेत को प्रकरण भिजवाया गया जिस पर बाद जांच थानाधिकारी जी सुकेत द्वारा प्रतिवादी को धारा 107, 151 जा०फी० के तहत गिरफ्तार कर माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय रामगंजमण्डी के समक्ष पेश किये जाने पर उक्त प्रतिवादीद्वारा आरोप स्वीकार किये जाने पर 6 माह के लिये शान्ति बनाये रखने हेतु नेकचलनी के जमानत मुचलको पर पाबन्द कर दिया गया सम्बन्धित दस्तावेजात साथ संलग्न है। वादी पुजारी को विवादित आराजीयात को

बहैसियत पुजारी स्वयं काश्त करने अथवा किसी से काश्त करवाने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर एक गिरोह बना रखा है और ताकत के बल पर उक्त आराजीयात वादी पुजारी को काश्त नहीं करने देने की धमकी आये दिन देता रहता है। इस समय वादी पुजारी ने उक्त आराजी को हंकवा जुतवाकर काश्त योग्य कर रखा है वादी पुजारी दिनांक 20.08.2014 को उक्त आराजी को पुनः काश्त करने हेतु ट्रेक्टर लेकर मौके पर गया तो प्रतिवादी विवादित आराजीयात पर आ गया और वादी को काश्त नहीं करने की धमकी दी किन्तु मौके पर उपस्थित गवाहान ने प्रतिवादी को वहां से रवाना किया। प्रतिवादी के इरादे बदले हुए है यदि वह जबरन ताकत के बल पर वादी मूर्ति मन्दिर की आराजी पर कब्जा करता है तो मूर्ति मन्दिर के वैधानिक अधिकार प्रभावित होगें और मन्दिर को अपने वैधानिक अधिकारों से वचित होना पड़ेगा जिसकी पूर्ति वादी को किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी तथा अन्य कई मुकदमें बाजी में फंसना पड़ जावेगा। वाद कारण प्रथम बार वर्ष 2013–14 पूरा समाप्त होने के बाद भी प्रतिवादी ने वादी पुजारी को मुनाफा राशि का भुगतान नहीं करने पर तथा वादी पुजारी ने प्रतिवादी के विरूद्ध एवं प्रार्थनापत्र माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट साहब रामगंजमण्डी के समक्ष प्रस्तुत करने तथा अन्तिम बार वादी पुजारी दिनांक 20.08.2014 को उक्त आराजी को पुनः काश्त करने हेतु ट्रेक्टर लेकर मौके पर गया तो प्रतिवाद विवादित आराजीयात पर आ गया और वादी को काश्त नहीं करने देने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। अन्त में अन्य कथन कर निवेदन किया कि कि– (अ). यह कि माननीय न्यायालय द्वारा वादी के हित में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित फरमाई जावे वादी मूर्ति मन्दिर महादेव जी जो Perpetual Minor है, के मूर्ति के खाते एवं कब्जे की आराजीयात खसरा नं. 307 की रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म चाह, खसरा नं. 308 की रकबा 2.13 हैक्टयर किस्म चाही तृतीय (देवजी का बेड़ा), खसरा नं. 310 की रकबा 0.21 हैक्टयर किस्म चाही तृतीय, खसरा नं. 311 की रकबा 0.93 हैक्टयर किस्म चाही तृतीय कुल किता 4 कुल रकबा 3.28 हैक्टयर को पूर्ववत् शान्ति पूर्वक काश्त करते रहने दे इसमें किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही अपने किसी परिजन अथवा एजेन्ट से करावे। (ब). यह कि अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2024 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि एवं पत्रावली के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा धारा 46 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह सहायता चाही गई थी कि वादी मूर्ति मंदिर महादेव जी जो प्रीपेचुअल माईनर है के मूर्ति के खाते एवं कब्जे की आराजियात ख०नं० 307 की रकबा 0.01 है० किस्म चाह, ख०नं० 308 की रकबा 2.13 है० किस्म चाही तृत्तीय (देवजी का बेडा), ख0नं0 310 की रकबा 0.21 है० किस्म चाही तृतीय, ख0नं0 311 की रकबा 0.93 है० किस्म चाही तृतीय कुल किता 4 कुल रकबा 3.28 है० को पूर्ववत शांतिपूर्वक काश्त करते रहने दे इसमें किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही अपने किसी परिजन अथवा एजेन्ट से करावे। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 अपीलांट के विरूद्ध निर्णीत करने में भारी त्रुटि की है जबकि अपीलांट के पिता के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो प्रदर्श 3ए राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान बन्दोबस्त से पूर्व की वादग्रस्त आराजी के संबंध में जारी पासबुक की कॉपी है जिसमें माफी महादेव जी मंदिर जरिये पुजारी जगन्नाथ दर्ज है सेटलमेंट अवधि 2031 से 2034 जारी की गई थी। मंदिर के पुजारी जगन्नाथ जी उक्त मंदिर के पुजारी/संरक्षक थे जिनके संपूर्ण भूमि की देखभाल एवं सेवा पूजा का कार्य करते थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान अपीलांट ही उक्त मंदिर की सेवा पूजा सार संभाल करता चला आ रहा है। तनकी संख्या 2 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पारित करने में त्रुटि की है जबकि उक्त भूमि महादेव मंदिर की भूमि है और मंदिर पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा नाजायज कब्जा करने पर आमादा होने के कारण अपीलांट द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था उक्त बाद को स्वीकार कर रेस्पो० को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना चाहिये था। तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में तय करने में भारी त्रुटि की है जबकि पुजारी व सेवादार के संबंध में ग्राम पंचायत सलावद द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता ना ही राजस्व न्यायालय द्वारा पुजारी तय किया जा सकता है। पुजारी तय करने का एकमात्र अधिकारी सिविल न्यायालय को प्राप्त है इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। बल्कि अपीलांट उक्त भूमि पर प्रारम्भ से

ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त कब्जा काश्त से होने वाली आय से मंदिर की सेवा पूजा होती चली आ रही है। तनकी संख्या 5 वादी के विरूद्ध तय करने में त्रुटि की है जबकि अपीलांट महादेव जी मंदिर की संरक्षक/पुजारी होने से मंदिर के हितार्थ समय समय पर उक्त भूमि को मुनाफा काश्त पर जुपाता आया है उससे प्राप्त होने वाली आय से मंदिर से सेवा पूजा एवं उसके रख रखाव की व्यवस्था की जाती है उक्त भूमि को अतिकमियों से संरक्षित करने के लिये उक्त मंदिर की ओर से भूमि के संबंध में वाद लाने का अधिकार अपीलांट को प्राप्त है। महादेव जी की सेवा पूजा अपीलांट अपने पूर्वजो के समय से करते चले आ रहा है वर्तमान सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजियात के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी पासबुक माफी महादेव की महाराज जयें पुजारी पण्डित जगन्नाथ आ० भैरूलाल जी से अवधि बन्दोबस्त 2031 से 2034 की जारी की हुई है। अपीलांट के पिता का देहान्त वर्ष 1997 में हो चुका है और अपीलांट अपने पिता की मृत्यु के बाद से निरन्तर उक्त महादेव जी मंदिर की नियमित रूप से सेवा पूजा विधि विधान से करता आ रहा है। उक्त मूर्ति की आराजीयात को बहैसियत पुजारी प्रति वर्ष मुनाफा काश्त कर काश्त करवाता आ रहा है और उक्त आय से मंदिर से मंदिर की व्यवस्था रख रखाव तथा सेवा पूजा भोग, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि की व्यवस्था नियमित रूप से करता आ रहा है। मंदिर के हितार्थ ही संरक्षक की हैसियत से उक्त भूमि को मुनाफे से काश्त करवाते चला आ रहा है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2024 की जानकारी अपीलांट को नहीं थी क्योंकि अपीलांट को उसके अधिवक्ता ने आश्वासन दिया था कि आप वृद्ध हो जब भी जरूरत होगी बुलवा लेंगें चूंकि अपीलांट एक 92 वर्षीय अत्यधिक वृद्ध सीनियर सिटीजन है जो बीमार रहता है इसी कारण वह निर्धारित समय अवधि में अपील पेश नहीं कर पाया तत्पश्चात उसके द्वारा दिनांक 25.06.2024 को अपने अधिवक्ता से मिला और उनके द्वारा जानकारी देने पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.06.2024 को आवेदन किया जो उसी दिन प्राप्त हुई। निर्णय की दिनांक 29.01.2024 से नकल प्राप्ति की दिनांक 26.06.2024 तक की अवधि कन्डोन करने के पश्चात अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पूर्व में किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से सादर प्रस्तुत है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2024 निरस्त किए जाने का निवेन किया। साथ ही वाद पत्र के अनुसार चाहा गया अनुतोष अपीलांट के पक्ष में रेस्पो० के विरूद्ध प्रदान करने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलांट द्वारा गलत तथ्य बताकर वादपत्र पेश किया गया है। अपीलांट द्वारा जो लिखा पढ़ी पेश की गई है वह वादग्रस्त आराजी की नहीं होकर गावं की जमीन के सम्बंध में की गई है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी अपीलांट मंदिर का पुजारी भी

नहीं है। प्रश्नगत मंदिर की सेवा पूजा रेस्पोडेन्ट ही करता चला आ रहा है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट ने अपील में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

वादी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 307, 308, 310, 311 कुल किता 4 रकबा 3.28 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मन्दिर की भूमि है तथा अपीलांट मंदिर का पुजारी है तथा वादग्रस्त आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से ही मन्दिर की पूजा करता आ रहा है तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त

आराजी पर जबरन कब्जा करने तथा अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। अपने कथनों के समर्थन में वादी अपीलांट की ओर से खाता पास बुक, मुनाफा काश्त तहरीर, इकरारनामा एवं कोटा रियासत के स्टाम्प सम्वत 1987 पर अंकित तहरीर दस्तावेज पेश किए है। इसके विपरीत प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट प्रश्नगत मंदिर का पुजारी नहीं है, रेस्पोडेन्ट प्रश्नगत मंदिर का पुजारी है तथा मंदिर की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपने कथनों के समर्थन में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा तहरीर दिनांक 02.02.2012, कार्यालय ग्राम पंचायत सलावदखुर्द द्वारा जारी तहरीर दिनांक 20.03.20214 पेश किए गए है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु प्रश्नगत मन्दिर की सेवा पूजा करने एवं प्रश्नगत मंदिर की भूमि पर कब्जे काश्त एवं हक अधिकारों को लेकर है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री महादेव जी महाराज की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर की भूमि है। वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारो स्वंय को प्रश्नगत मंदिर का पुजारी होने का कथन किया है। तथा उभयपक्षकारान द्वारा स्वयं को प्रश्नगत मंदिर का पुजारी होने के समर्थन में अपने अपने तर्क तथा दस्तावेज पेश किए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल पाचं तनकीयात कायम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी नम्बर 3 इस प्रकार है– "आया वादी बालमुकन्द न तो वादी(मूर्ति) का सेवादार/पुजारी है और ना ही उसका (वादी का) वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 में पारित निष्कर्ष में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत सलावदखुर्द द्वारा जारी प्रमाणिकरण दिनांक 20.03.2014 के आधार पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को मन्दिर का पुजारी होना स्वीकार किया है तथा इसी आधार पर वादी अपीलांट को मन्दिर का पुजारी नहीं होना तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त नहीं होना माना है। हमारे मत में ग्राम पंचायत सलावदखुर्द द्वारा जारी तथाकथित प्रमाणिकरण दस्तावेज दिनांक 20.03.2014 प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को प्रश्नगत मन्दिर का पुजारी होना साबित करने बाबत पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, अतः प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 20.03.2014 के आधार पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को मंदिर का पुजारी हो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 में पारित निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत कोटा रियासतकालीन स्टाम्प पेपर पर अंकित तहरीर सम्वत् 1987 को लेकर वादी अपीलांट के वादग्रस्त आराजी में हक अधिकारों के सम्बंध में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तोवजी साक्ष्यों का भलीं–भांति अवलोकन किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। चूंकि वादग्रस्त आराजी मंदिर की

भूमि है तथा मंदिर की भूमि के संरक्षण का दायित्व राज्य सरकार का होता है अतः हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रामगंजमण्डी आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को पक्षकार कायम किए बिना तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रामगंजमण्डी को पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक है तथा वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 108/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रकरण में पक्षकार कायम करें, उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर समुचित तनकीयात कायम करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.04.2026 को स्वयं उपस्थित रहें

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/2/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा